

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल उपयुक्तता/उपलब्धता सम्बन्धी
प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- ~~जनपद उत्तरकाशी में के.एस.डी.सी.
कुमाई इंटर कॉलेज जंगल के भवन निर्माण हेतु
0.9 हे. वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव~~

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना हेतु याचित भूमि 1.00
हे० से कम यानि 0.9 हे० मात्र वन भूमि है, 1.00 हे० से कम वन भूमि होने के
फलस्वरूप अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं० 56/7-1, (व०भू०)
66(75) 2008, दिनांक 22.03.2012 के अनुसार परियोजना पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण
लागू न होने के आदेश प्राप्त हैं। जिस कारण परियोजना हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के
लिये स्थल उपयुक्तता/उपलब्धता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन की आवश्यकता नहीं है।


प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग,
उत्तरकाशी।